FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0186 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/09/2024 22:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/09/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:08 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/09/2024 **Time (समय):** 19:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/09/2024 22:03:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE CHOKI 29 MEEL CHORAHA, THANA GULABPURA JILA BHILWARA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** UMMED KHAN
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHOLU KHAN
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1960 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	29, GANDHI SCHOOL KE PICHE, BAIRWA MOHALLA GULABPURA, GULABPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	29, GANDHI SCHOOL KE PICHE, BAIRWA MOHALLA GULABPURA, GULABPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NETRAM CHOUDHARY		पिता:FULCHAND JAT	1. FUDAULI ROAD,NEEM KA THANA,NEEM KA THANA,RAJASTHAN,INDIA
2	RAFIK MOHAMMAD		पिता:MUSTAK MOHAMMAD	1. RASULPURA,ALWAR GATE,AJMER,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान् अतरीक्त पुलीस अधीकसक भस्टाचार निरोधक बिरों भीलवाडा प्रथम विषय - भरस्ट लोक सेवक एवम उसके दलाल को रिसवत लेन देन करेत हुए को पकडवाने बाबत् । मोहदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मैं प्राथी उम्मेद खा पुत्र लालू खा जी कायमखानी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा राज0 का रहने वाला हूं, मैं खैती बाडी व बिलडिंग मेटरेयल का धन्धा करता हूं। दिनांक 10.08.2024 को मेरा लडका आमीर खान अपने मित्र कारतीक शर्मा के साथ अपने मित्र की कार लेकर बिजयनगर श्रीनाथ होटल पर गया था वहां से मेरा लडका आमीर एक उसके दोस्त करीब डेढ बजे रात्री को अपने सात घरेलू काम हेतु 3.60 लाख रूपये लेकर आ रहे थे तो गुलाबपुरा थाने के थानेदार श्री नेतराम और उनके साथ रफिक मोहम्मद और एक अन्य कान्सटेबल सरकारी गाडी से आये तथा मेरे लडके की गाडी स्कॉपियों के आगे आडी सरकारी गाडी लगाकर रूकवा दी तथा मेरे लडके आमीर को एन.डी.पी.एस. केस (ndps) केस मे बन्द करने की धमकी देकर नेतराम जी एस.आई. और साथी कानि0 रफिक ने मेरे लडके से केस में बन्द नही करने की एवज में सात लाख रूपये की मांग की तथा उसके पास रखे हुए 3.60 लाख रूपये मौके पर ही ले लिये मेरे लडके की गाडी जोरावपुरा मार्बल फैक्ट्री के सामने गुलाबपुरा में रूकवाई थी दिनांक 10.08.2024 को प्रातः सुबह मेरे लडके के पास कानि0 रफिक मोहम्मद मो. नम्बर से कॉल आया तथा मेरे लडके से शेष रिश्वत राशि लेकर गोरमेन्ट अस्पताल के सामने बुलाया तथा मेरे लडके से 1.40 लाख रूपये और ले लिये तथा रफिक कानि0 ने मेरे लडके से 2.00 लाख रूपये ओर मांगे । फोन पर बार-बार वॉट्सअप कॉल करके और रूपये देने के लिये परेशान कर रहा है । मेरे लडके ने मुझे दिनांक 16.08.2024 को यह पुरी घटना बताई । इसके बाद मै, इसके बाद मै दिनांक 17.08.2024 को 29 मील पुलिस चौकी में जाकर श्री नेतराम एस.आई से मिला तथा मेरे लडके से 7.00 लाख रूपये मांगकर 5.00 लाख रूपये किस बात के लिये के सम्बन्ध में बातचीत की तो नेतराम जी ने कहा कि अब आपके लडके को कोई परेशान नही करेगा लेकिन आपके लडके के पास पैसे लेन-देन के सम्बन्ध में मेरी एवं मेरे स्टाफ की रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट करवा दो हम आपको पांच लाख रूपये वापस दे देगें । श्री नेतराम एस.आई के सारे अवैध काम मोहम्मद गनी से करवाता है तथा अब श्री नेतराम एस.आई अपने दलाल मोहम्मद गनी को मेरे लडके के पास भेजकर रिकॉर्डिंग डिलीट करने का दबाव बना रहा है और कहता है कि नेतराम जी ने मुझे कहा कि आप जाकर 3.00 लाख रूपये मे मामला सेटल कर लो की कह रहा है मोहम्मद गनी के मो. है आज मेरा लडका मेरे साथ आया है श्री नेतराम एस.आई एवं श्री रफिक कानि0 ने व अन्य ने मेरे लडके आमीर खान एवं उसके साथ को अवैध तरीके से ndps केस मे बन्द करने की धमकी देकर 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि वसूल कर ली तथा जब से श्री नेतराम एस.आई एवं उसके दलालों के इनकी रिश्वत राशि लेनदेन की रिकॉर्डिंग की जानकारी होने के बाद से ही मुझे और मेरे लडके को रिश्वत राशि देने के लिये बार-बार परेशान कर रहे है । कल दि. 20.08.2024 को करीब 3 बजे मेरे लडके के पास मेरी दुकान पर मोहम्मद गनी और उसके साथ अन्य दो व्यक्ति गाडी XUV 700 लेकर आये तथा कहा कि नेतराम जी और रफिक को आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग है वह डिलीट करों हम आपको 2.50 लाख रूपये वापस दे देगें । मैं व मेरा लडका श्री नेतराम एस.आई. और उसके दलालों द्वारा रिश्वत राशि लेन-देन करते हुए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं हमारा कोई भी काम अवैध नही है श्री नेतराम एस.आई. मेरे पास रिश्वत मे ली हुई राशि अपने दलाल मोहम्मद गनी के साथ भिजवायेगा । मेरा व मेरे लडके को श्री नेतराम एस.आई से व अन्य स्टाफ से कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार की लेन-देन बकाया है । मेरा लडका जब तक नेतराम व स्टाफ की लेन-देन वार्ता को डिलीट नही करेगा तब श्री नेतराम एस.आई व अन्य स्टाफ वाले अन्य दलालो के साथ मिलकर कभी भी कोई झुठा केस लगाकर परेशान करेगें रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करें । एस.डी. उम्मेद खां पुत्र श्री गोलू खां जी कायमखानी 64 वर्ष निवासी गुलाबपुरा मकान नम्बर 29 गांधी विधालय के पीछे बैरवा मौहल्ला बरकत बिल्डींग मटेरियल मोबाईल नम्बर एस.डी. आमीर खान मोबाईल नम्बर ., एस.डी. पारसमल दिनांक 21.08.2024 समय 1.30 पी.एम. एस.डी. कृष्णपालदिनांक 30.08.2024 एस.डी. मदन लाल । कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम दिनांक 21.08.2024 समय 01.30 पी.एम. उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट प्रार्थी की उम्मेद खाँ पुत्र ही भोलू खां जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 64 वर्ष निवासी म.नं. 29 गांधी विधालय के पीछे बैरवा मौहल्ला गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ने मय अपने लड़के श्री आमिर खान के उपस्थित कार्यालय होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की । श्रीमान अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक ने अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझ अधीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री उम्मेद खां व उसके पुत्र श्री आमीर खान से परिचय करवाते हुए मूल तहरीरी रिपोर्ट सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पारसमल द्वारा परिवादी श्री उम्मेद खां एवं उसके पुत्र श्री आमीर को अपने कार्यालय कक्ष में लाया और प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर दरियाफ्त की तो बताया कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं तथा पांची कक्षा तक पढा हुआ हूं पेशे से खेती बाडी एवं बिल्डिंग मटेरियल की शॉप करता हूं आज मै अपने साथ मेरे लडके श्री आमीर को भी लेकर आया हूं उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे स्वयं की कलमी है। दरियाफ्त पर बताया कि मेरा लडका आमीर और उसका दोस्त कार्तीक शर्मा दिनांक 09. एवं 10.08.2024 की रात्री दरमियानी अपने मित्र की स्कॉर्पियों गाडी लेकर विजयनगर स्थित श्रीनाथ होटल पर गये वहां पर मेरे लडके आमीर ने अपने साले श्री लक्की निवासी अजमेर से घरेलू एवं घ कार्य हेतु 3.60 लाख रूपये मंगवाये थे जो लेने गये थे रात्री करीबन 1.30 ए.एम. पर मेरा लडका एवं उसका दोस्त जोरावरपुरा मार्बल फैक्ट्री गुलाबपुरा पहूंचे तो उसी समय पीछे से पुलिस की गाडी में श्री नेतराम एस.आई, श्री रफिक मोहम्मद कानि0 एवं एक अन्य कानि0 वर्दी में थे और मेरे लडके की गाडी के आगे पुलिस की गाडी लगाकर रूकवा ली तथा मेरे लडके और उसके साथ कार्तिक को चेक किया और कहा कि यह गाडी किसकी लेकर घुम रहा है मैं सब जानता हूं तब मेरे लडके ने कहा कि यह गाडी मेरे दोस्त के जिजाजी श्री सुरेश गुर्जर की है। इसके मेरे लडके कहा कि तुम्हें ndps case मैं बन्द करेगें तथा रफिक खान कानि0 को आने दो। श्री नेतराम एस.आई ने कहा कि गाडी को चेक करों तो रफिक कानि0 ने गाडी के डेस बोर्ड की दराज में रखे हुए 3.60 लाख रूपये निकाल लिये तथा मेरे लडके और उसके साथी को श्री नेतराम एस.आई और स्टाफ ने करीबन डेढ घन्टे तक रोके रखा। इसके बाद श्री नेतराम जी एस.आई ने मेरे लडके से 7.00 LAKH रिश्वत की मांग की और कहा कि अभी व्यवस्था करों नही तो तुम्हारी गाडी में डोडा पोस्त के बोरे रखकर बन्द करेगें। लडका काफी घबरा गया तथा उसका साथी कार्तिक शर्मा भी पढने वाला लडका है बुरी तरह से डर गये। इसके बाद रफिक कानि0 ने कहा कि साहब तो इससे भी ज्यादा लेते है लेकिन हम अभी आपको फ्री करवा रहे है इसके बाद दुसरे कानि0 ने हमारें को हमारें पैसे लौटाने का विडियों बना लिया जबकि मेरे लडके मौके पर 3.60 लाख रूपये ले लिये इसके बाद मेरा लडका और उसका साथी घर आ गये। इसके कानि0 श्री रफिक खां ने मेरे लडके को गोर्वमेन्ट हॉस्पीटल गुलाबपुरा के सामने चाय की थडी पर बुलाया तथा 1.40 लाख रूपये और ले लिये। इसके बाद रफिक खां कानि0 मेरे लडके से अभी भी 2.00 लाख रूपये और रिश्वत राशि की मांगकर परेशान कर रहा है जबकि मेरे लडके एवं उसके साथी किसी प्रकार के अवैध धन्धे में लिप्त नही है। दिनांक 17.08.2024 को मेरे लडके आमीर ने बहुत परेशान होकर मुझे यह पुरी घटना बताई। इसके बाद मैं दिनांक 17.08.2024 को ही 29 मील चौकी पर जाकर मिला उस समय श्री नेतराम चौकी पर उपस्थित मिला जिसको मैनें मेरे लडके आमीर को और उसके साथी को दिनांक 10.08.2024 को रूकवाकर 3.60 लाख रूपये लेने एवं उसके बाद दिनांक 10.08.2024 को ही 11.30 से 12.00 बजे के बीच 1.40 लाख रूपये कुल 5.00 लाख रूपये लेने के सम्बन्ध में बातचीत की तथा बताया कि रफिक आपके लिये 2.00 लाख रूपये और मांग रहा है। मेरे लडका का क्या कसूर था। तो श्री नेतराम ने कहा कि आपका लडका है इसलिये और कोई पैसे नही देने है अब आपके पास 2.00 लाख रूपये के लिये फोन नही आयेगा। लेकिन आपके लडके को अब कोई परेशान नही करेगा, आपके लडके ने पैसे मांगने की स्टाफ की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है आप उसको बेलों की रिकॉर्डिंग हटवाये डिलीट करवाये। हम आपको 5.00 लाख रूपये वापस दे देगें। श्री नेतराम एस.आई हाईवे पर अवैध कामों, ड्रग्स सप्लाई जिसमें ndps एवं अवैध शराब के वाहन को पास कराने एवं पकडक माल को खुर्द बुर्द करने के साथ अवैध कार्य अपने दलाल मोहम्मद गनी निवासी कानिया के मार्फत करवाता है। जिसके मो. नम्बर (है। दिनांक 20.08.2024 को करीबन 3.00 बजे श्री मोहम्मद गनी एक सफेद रंग की XUV 700 गाडी में अपने दो दोस्तों के साथ मेरे लडके आमीर के पास दुकान (जो मेरे मकान के बाहर ही बनी है) पर आया तथा कहा कि आपने श्री नेतराम एस.आई एवं कानि0 की दिनांक 10.08.2024 एवं उसके बाद लेन-देन सम्बन्धी वार्ता की रिकॉर्डिंग की है उसको डिलीट करों नही तो आप नेतराम जी को नही जानते हो। आप रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। मेरे लडके से CALL LOG HISTORY (वॉट्स-अप) की डिलीट करवा दो तथा और कहा कि नेतराम जी ने 3.00 लाख रूपये मे मामला सेटल करने की कहा है। श्री नेतराम एस.आई एवं रफिक कानि0 ने मेरे लडके से ndps केस मे बन्द करने की धमकी देकर 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि वसूल ली। तथा रफिक कानि0 के मार्फत 2.00 लाख रूपये और मांग रहा है जब से श्री नेतराम एस.आई एवं स्टाफ को रिश्वत राशि लेन-देन की वार्ता की रिकॉर्डिंग किये जाने की जानकारी होने के बाद मेरे बेटे को डराया जा रहा है श्री नेतराम एस.आई अपने दलालों के मार्फत रिश्वत लेन-देन की रिकॉर्डिंग डिलीट करने एवं मामला सेटल करने के नाम पर 3.00 लाख रूपये लौटाने के लिये अपने दलाल मोहम्मद गनी को भिजवा रहा है। कार्यालय में उपस्थित श्री आमीर खान से पूछताछ की तो अपने पिता के बताये कथनों की पुष्टि की तथा कहा कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही है और मेरे साथी श्री कार्तिक शर्मा अभी पढाई कर रहा है इसलिये मैं काफी डर गया था इसलिये मैनें मेरे पिताजी को दिनांक 17.08.2024 को ही बताया था। श्री नेतराम एस.आई एवं स्टाफ कानि0 श्री रफिक खान एवं अन्य ने दिनांक 10.08.2024 को हमारी गाडी को रूकवाकर उसमें हमको डोडा चूरा केस में फंसाने की धमकी देकर उसी समय मेरे से 3.60 लाख रूपये ले लिये तथा पैसे हमे लौटोने का विडियों कानि0 से बनवाया, विडियों बनाने के बाद मेरे से पैसे ले लिये तथा शेष रिश्वत राशि 3.40 लाख रूपये के लिये रफिक

कानि0 मेरे को लगातार WHATSAPP कॉल कर रहा था। दिनांक 10.08.2024 को रफिक ने मुझे गोर्वमेन्ट हॉस्पीटल के सामने चाय की थडी पर बुलाया तथा 1.40 लाख रूपये प्राप्त कर लिये इसके बाद मेरे से 5.00 लाख रूपये लेने के बाद भी 2.00 लाख रूपये के लिये परेशान कर रहा है। दिनांक 15.08.2024 एवं 16.08.2024 को रफिक खान कानि0 द्वारा WHATSAPP CALL पर मेरे से पैसे की लेन-देन सम्बन्धी वार्ता को श्री टीनू अहमद मेरे दोस्त के फोन से विडियों रिकॉर्डिंग की गई थी। मन् उपाधीक्षक द्वारा श्री आमीर खान के पास रिकॉर्डिंग को सूना गया तो। AUDIO VEDIO रिकॉर्डिंग में MOB. NO दिखाये दे रहे थे, वहीं एक फोटो में श्री रफिक खान दिखाई दे रहा है जो वार्ता में कहता है कि एक बार लाकर दे दे, बाद में दिक्कत नही आवें, फोन करे मैं तो आपको इतता सा ही कर रहा हूं की फोन करें, रोज सुना रहा है, वो ही है जहां दिखोगें वहीं पंच करेगा, टॉर्चर करेगा। कब तक आ रहे हो। अन्य वार्ता में रफिक खान कह रहा है कि उसका फोन आ रहा है क्या जवाब दूं उसको, तो आमीर खान पूछता कौन, रफिक कहता है नेतराम जी, उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी को अपने फोन एवं उसमें की गई वार्ताओं को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। परिवादी एवं उसके पुत्र आमीर खान ने बताया कि श्री नेतराम एस.आई एवं उसके दलाल रिश्वत लेन-देन वार्ता को रिकॉर्डिंग डिलीट करने एवं हमारे से अवैध एवं अनुचित रूप से ग्रहण की गई रिश्वत राशि लौटाने तथा मामला अपने दलाल के मार्फत 3.00 लाख में सेटल करने की कह रहा है। मेरे जायज कार्य की एवज में श्री नेतराम एस.आई, श्री रफिक कानि0 एवं दलाल श्री गनी मोहम्मद से किसी प्रकार अनुचित लेन-देन नही करना चाहते है बल्कि ऐसे भ्रष्ट लोग श्री नेतराम एस.आई, कानि0 श्री रफिक खान एवं दलाल को रिश्वत राशि लेन-देन के समय रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। मेरी श्री नेतराम एस.आई एवं अन्य स्टाफ श्री रफिक खान एवं गनी मोहम्मद से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन-देन बकाया है। मैं तथा मेरे लडके ने श्री नेतराम एस.आई एवं स्टाफ एवं उसके दलाल की बात नही मानी तो वह मेरे लडके को किसी भी फर्जी केस में फंसा सकता है। मजमून तहरीर रिपोर्ट एवं दरियाफ्त पर मामला परिवादी श्री उम्मेद खां के लडके आमीर खान एवं उसके साथी को NDPS केस में बन्द करने की धमकी देकर दिनांक 10.08.2024 को 3.60 लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना तत्पश्चात् श्री नेतराम एस.आई के कहे अनुसार कानि0 श्री रफिक खान द्वारा दिनांक 10.08.2024 को 1.40 लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की कुल 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लेना पाया गया जो रिकॉर्ड वार्ता में भी आंशिक पुष्टि होने से मामला रिश्वत राशि मांग एवं लेन-देन का पाया जाता है। अतः परिवादी एवं उसके लडके आमीर खान को एस.ओ के पास भेजकर पूर्व में की गई रिश्वत राशि लेन-देन एवं ओर रिश्वत राशि मांगे जाने एवं रिकॉर्ड वार्ताओं को डिलीट करने की एवज में 03 लाख रूपये रिश्वत लौटाकर मामला सेटल से सम्बन्धित वार्ताओं कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं आज ही गुलाबपुरा थाने एवं चौकी 29 मील जाकर श्री नेतराम एवं कानि0 श्री रफिक से एवं श्री गनी मोहम्मद से वार्ता कर रिकॉर्ड कर लेगें। समय 03.30 पी.एम. पर श्री पवन कुमार राव कानि0 नम्बर 417 को मन् उपाधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री उम्मेद खां एवं उसके लडके श्री आमीर खान से आपस में परिचय कराया तथा परिवादी एवं कानि0 श्री पवन राव के मोबाईल नम्बर आपस में शेयर किये तथा कानि0 श्री पवन को परिवादी के साथ गुलाबपुरा जाकर परिवादी एवं उसके लडके एवं एस.ओ. के मध्य रिश्वत राशि मांग एवं लेन-देन एवं होने वाली वार्ताओं को कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात् श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक मालखाना इंचार्ज से मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। श्री रामपाल ए.एस. आई ने कार्यालय मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक 32 जी.बी. सेनडिस्क अल्ट्रा का मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी श्री उम्मेद खां एवं उसके लडके श्री आमीर खान को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाईश की गई। तथा कानि0 श्री पवन कुमार राव को निर्देश दिये कि आप परिवादी एवं उसके लडके को एस.ओ. के पास वार्ता करने जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना नाम एवं परिवादी को रिकॉर्डर सुपुर्द करने की बताकर देवें। तथा परिवादी के एस.ओ. के पास आते जाते को नजदीक से देखने एवं होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करने का निर्देश दिये गये। तथा एस.ओ. की आम शोहरत की गोपनीय जानकारी कर लाने के निर्देश दिये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर कानि0 को सुपुर्द किया गया जिसकी फर्द सुपुर्दगी मय मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तीब की गई जिस पर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामील कार्यवाही की गई। समय 04.00 पी.एम. पर कानि0 श्री पवन कुमार राव को परिवादी श्री उम्मेद खां व उसके लडके आमीर खान को परिवादी की स्वयं की कार से वास्ते मांग सत्यापन एवं लेन-देन वार्ता सत्यापन हेतु गुलाबपुरा की ओर रवाना किया गया। समय 09.30 ए.एम. पर कानि0 श्री पवन कुमार ने उपस्थित कार्यालय होकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा जाहीर किया कि निर्देशानुसार मैं, परिवादी एवं उसके लडके आमीर खान के साथ एस.ओ. से की जाने वाली मांग सत्यापन एवं लेन-देन वार्ता सत्यापन हेतु कार्यालय से रवाना होकर 05.00 पी.एम. गुलाबपुरा पहूंचे तथा एस.ओ. के बारे में जानकारी की तो गुलाबपुरा थाने पर होने की जानकारी मिली जिस पर समय 05.50 पी.एम. पर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर गुलाबपुरा थाने की ओर रवाना किया। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखकर पुलिस थाना गुलाबपुरा में गया, मैं थाने के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छूपाते हुए मुकीम रहा थोडी देर मे ही श्री नेतराम एस.आई अपनी क्रेटा कार से थाने से बाहर जाते नजर आये। परिवादी श्री उम्मेद खां ने मेरे पास

आकर बिना किसी रिकॉर्डिंग के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया बताया कि श्री नेतराम से मेरी थाने पर बातचीत नही हो पाई। मैं तथा परिवादी थाने के आस-पास ही मुकीम रहे तत्पश्चात् परिवादी ने पुनः श्री नेतराम एस.आई के बारे में जानकारी कर मुझे बताया कि थानेदार जी अभी 29 मील पुलिस चौकी पर बैठे है। इसके बाद मैनें पुलिस चौकी गुलाबपुरा 29 मील के आस-पास जाकर एस.ओ. की लोकेशन पता की तो जानकारी मिली की एस.ओ. अभी-अभी प्राईवेट गाडी से बिजयनगर की तरफ निकल गया है। अतः परिवादी एवं एस.ओ. की रिश्वत राशि मांग का सत्यापन एवं लेन-देन सम्बन्धी कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हो सकी। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक द्वारा मेरे पास कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा। परिवादी को उसके मोबाईल पर वार्ता कर कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने एवं प्रातः 09.00 बजे तक एस.ओ. की लोकेशन पता कर मुझे एवं कानि0 श्री पवन कुमार सुचित करने की हिदायत दी गई। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 22.08.2024 समय 9.00 ए.एम पर श्री पवन कानि0 को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री उम्मेद खां से सम्पर्क कर श्री नेतराम एसआई पुलिस चौकी 29 से मांग सत्यापन रिश्वत राशि व लेन-देन राशि से संबंन्धित वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु प्राईवेट कार से गुलाबपुरा की ओर रवाना किया। समय 8.30 पी.एम पर श्री पवन कानि0 हाजिर कार्यालय आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित एवं बदं हालत में सम्भलाया गया। जाहिर किया कि मैं कार्यालय से 9.00 ए.एम पर रवाना होकर 10.25 ए.एम पर विजयनगर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री उम्मेद खां का लड़का आमीर खान विजयनगर बस स्टैण्ड पर मिला तथा उनके पिताजी के बारे पूछताछ की तो बताया कि पिताजी अभी आयेगें। मैने एसओ के बारे मै गोपनीय जानकारी प्राप्त की। परिवादी श्री उम्मेद खां जरिये फोन से बताया कि श्री नेतराम एसआई पुलिस चौकी 29 पर आ गये है इस पर में विजयनगर से रवाना होकर शाहपुरा बाईपास गुलाबपुरा पहुंचा जहां परिवादी श्री उम्मेद खां शाहपुरा बाईपास गुलाबपुरा पर मिले ओर बताया कि अभी श्री नेतराम एसआई पुलिस चौकी 29 मिल पर है। इस पर मैने समय 1.25 पी.एम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सम्भलाया जिसने अपनी हुई शर्ट की उपर की बाई जेब मै सुरक्षित रखा तथा परिवादी उम्मेद खां को एसओ से वार्ता हेतु 29 मील पुलिस चौकी की ओर रवाना किया। परिवादी ने 1.34 पी.एम जरिये फोन से बताया कि नेतराम जी चौकी से थाने की तरफ निकल गये है। परिवादी 10-15 मिनिट मै बिना किसी रिकॉडिग के मेरे पास आये तथा जिस पर परिवादी को थाने की तरफ रवाना किया। लेकिन एसओ थाने पर नहीं मिला तथा परिवादी बिना कोई रिकॉडिग के मेरे पास आया तथा मैने रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा। इसके बाद परिवादी ओर मै एसओ के इंतजार में थाने के आसपास मुकिम रहे लेकिन एसओ से कोई बातचीत नही हो सकी इसके बाद समय 7.10 पी.एम पर रवाना होकर 8.30 पी.एम पर कार्यालय आया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक द्वारा सुरक्षित हालत मै कार्यालय अलमारी में रखा गया। दिनांक 24.08.2024 समय 9.30 ए.एम. पर परिवादी श्री उम्मेद खां ने जरिये मोबाईल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मैने पता किया कि श्री नेतराम एसआई पुलिस चौकी 29 मिल पर बैठा है। आप श्री पवन कानि0 को गुलाबपुरा भेज दो मै पुलिस चौकी पर जाकर श्री नेतराम एसआई से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता कर लूगां। समय 10.20 ए.एम पर कानि0 श्री पवन राव 417 मन उप अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकाला गया तथा कानि0 को निर्देश दिये कि आप गुलाबपुरा पहुंच कर परिवादी श्री उम्मेद खां से सम्पर्क कर परिवादी एवं एसओ के मध्य होने वाली रिश्वत राशि मांग एवं लेन-देन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिकॉर्ड करें। कानि0 श्री पवन राव को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर गुलाबपुरा की तरफ रवाना किया। समय 1.20 पी.एम. पर परिवादी श्री उम्मेद खां जरिये मोबाईल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मेरी श्री नेतराम एसआई से 29 मील चौकी पर वार्ता हुई है। जिसको मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है, तथा मैने रिकॉर्डर श्री पवन जी कानि0 को सम्भला दिया है। परिवादी श्री उम्मेद खां ने बताया कि अभी तिरगां होटल पर किसी कार्यक्रम में जाना है। मै वहां से फ्री होकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। समय 3.00 पी.एम पर श्री पवन राव कानि0 उपस्थित कार्यालय होकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा जाहिर किया कि मै कार्यालय से 10.40 एएम पर बस से रवाना होकर 11.55 एएम पर गुलाबपुरा स्थित 29 मील पुलिस चौकी के पास पहुँचा तथा परिवादी श्री उम्मेद खॉं को कॉल किया। थोडी देर में परिवादी रोड पर मिले। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री नेतराम एसआई अभी चौकी पर ही और मै अभी जाकर अपने कार्य एवं रिश्वत राशि लेन-देन एवं लौटाने के संबंध में वार्ता कर लूंगा। इस पर मैने समय 12.18 पीएम पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लगा हुआ चालू कर दिया, उसके परिवादी श्री उम्मेद खॉं अपनी स्कूटी से 29 मील चौकी की तरफ रवाना हो गये। मै वही चौकी के आस-पास मुकिम रहा, तथा परिवादी को पुलिस चौकी के अन्दर जाते हुए को देखा। करीबन 1.00 घंटा बाद परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू हालात में संभलाया जिसको मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी श्री नेतराम एसआई से वार्ता हो चुकी है, जिसको मैने अपने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। श्री नेतराम एसआई ने मेरे लडके श्री आमिर खान को भी पुलिस चौकी में बुलाया था तथा उसके मेरे सामने ही बंद करने की धमकी दी। दिनांक 10.08.24 को मेरे लडके को और उसके साथी कार्तिक की गाडी को रोककर एनडीपीएस केस में बंद करने की धमकी, अन्य बदमाशों से संबंध रखने के संबंध में धमकी देकर 7.00 लाख रूपये की मांग कर मेरे लडके से 5.00

लाख रूपये रिश्वत राशि रफीक खान कानि0 ने नेतराम जी के नाम से ली, तथा 2.00 लाख रूपये के लिये बार-बार फोन पर परेशान कर रहा है। आज मैने श्री नेतराम एसआई को 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने और रफीक कानि0 दवारा 2.00 लाख रूपये और रिश्वत राशि मांगने के संबंध में बातचीत की तो कहा कि अब रफीक को कोई पैसे नही देने है, रफीक भी अपना ही है, अब रफीक का आपके पास फोन नही आयेगा तथा मैने 5.00 लाख रूपये वापस लौटाने की कहने पर कहा मै नही दूंगा मैने खर्च कर दिये। इसके बाद मैने कहा चलो 2.00 लाख रूपये दे दो, तो 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि वापस लौटाने के लिये सहमत हुआ। उक्त वार्ताएं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। समय 4.40 पी.एम पर परिवादी श्री उम्मेद खाँ उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने बताया कि आज मैने प्रातः नेतराम एसआई के बारे में जानकारी कर आपको मोबाइल पर सूचना दी । इसके बाद श्री पवन कुमार जी कानि0 मुझे गुलाबपुरा 29 मील चौकी के पास समय करीबन 12.15 पीएम पर मिले। जिनको मैने श्री नेतराम एसआई के बारे में बताया कि अभी वो पुलिस चौकी में ही है। इस पर श्री पवन जी ने मुझे आपका डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करके दिया। जिसको मैने अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की जेब में रख कर अपनी स्कूटी से पुलिस चौकी 29 मील पहुँचा। चौकी में श्री नेतराम एसआई सादे कपडों में बरामदे में बैठा मिला। जिससे मैने मेरे लडके एवं उसके मित्र कार्तिक से दिनांक 10.08.24 को गाडी रूकवाकर एवं उसको एनडीपीएस केस में बंद करने की एवज में 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने और रफीक कानि0 दवारा फोन पर 2.00 लाख रूपये नेतराम जी के नाम से मांगने के संबंध में बातचीत की तो कहा कि, अब रफीक को कोई पैसे नही देने है, रफीक भी अपना ही है, अब रफीक का आपके पास फोन नही आयेगा। मैने मोहम्मद गनी के मेरे लडके के पास घर पर आकर मेरे लडके का फोन चैक करने, तथा रफीक की वार्ता की रिकॉर्डिग को डिलीट करने, तथा उसके द्वारा 3.00 लाख रूपये आपसे लाकर वापस लौटाने के संबंध में बातचीत की। मैने श्री नेतराम एसआई को मेरे लडके से ली गई रिश्वत राशि 5.00 लाख रूपये वापस लौटाने की कहने पर कहा मै नही दूंगा मैने खर्च कर दिये। इसके बाद मैने कहा चलो 2.00 लाख रूपये दे दो, तो 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि वापस लौटाने के लिये सहमत हुआ है। उक्त वार्ताएं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। श्री नेतराम ने बातचीत के दौरान ही मेरे लडके को चौकी पर बुलाने के लिये कहा तो मैने मेरे फोन से मेरे लडके को पुलिस चौकी 29 मील बुलाया। मेरे लडके को कहा कि तुमने रफीक का फोन टेप किया है। तथा मेरे सामने ही मेरे लडके को कहा कि तुम बदमाश गोपाल गुर्जर के साथ बैठते हो मै तुम्हे बंद करूगा। तथा मेरे सामने ही मेरे लडके को धमकाया। जबकि मेरा लडका बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान करता है। तथा ये तो बाम्बे रहता है। परिवादी ने बताया कि अब नेतराम एसआई मेरे लडके से ली गई 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि मे से 1.00 लाख रूपये लौटाने के लिये सहमत हुआ है। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के समक्ष ही चालू कर सुना गया तो परिवादी एवं कानि0 के कथनों की पुष्टि हुई। अतः एसओ द्वारा परिवादी के लडके से कानि0 श्री रफीक के मार्फत 5.00 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना एवं परिवादी दवारा रिश्वत राशि वापस लौटाने की कहने पर 1.00 लाख रूपये वापस लौटाने पर सहमत हुआ। अतः रिश्वत राशि मांग एवं लेन-देन का सत्यापन होना पाया गया। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मुझ उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। दिनांक 25.08.2024 समय 2.00 पी.एम पर श्री आमिर खान पुत्र श्री उम्मेद खां उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि कल मेरे पापा ने पुलिस चौकी 29 मिल जाकर श्री नेतराम जी एसआई कार्य के संबंध में 24.08.24 को वार्ता की तथा वार्ता के दौरान ही श्री नेतराम एसआई ने मुझे मेरे पापा से फोन करवाकर पुलिस चौकी 29 मिल चौकी बुलाया तथा मुझे मेरे पापा के सामने ही बदमाशों से संबंध रखने, हवाला कारोबारियों से संबंध रखने का अनर्गल आरोप लगाकर मुझे बंद करने की धमकी दी, जबकि मेरे किसी प्रकार का कोई केस पुलिस थाने में दर्ज नही है, तथा मैने श्री नेतराम जी से मेरे पापा के सामने ही कई बार निवेदन किया कि मेरे किसी बदमाश से संबंध नही है, और न ही मै कोई गलत काम करता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि पुलिस चौकी में बातचीत के दौरान श्री नेतराम एसआई ने मुझे कई बार कहा कि तुम्हे पैसे वापस चाहिये क्या, चाहिये तो बोल, और मुझे यह भी कहा कि तूझे रफीक की रिकॉर्डिग कर रखी है। मुझे बातचीत के दौरान ही बाहर भेज दिया। मेरे पापा ने भी श्री नेतराम एसआई को कहा कि मेरा लडका ऐसा नही है, ये तो बाम्बे रहता है, तथा वहाँ काम करता है, लेकिन श्री नेतराम जी एसआई ने मुझे दिनांक 10.08.24 की रात्रि को मेरी गाडी रूकवाकर जबरदस्ती डेढ घंटे तक मुझे एवं मेरे दोस्त कार्तिक को रोक लिया। तथा रफीक के मार्फत 7.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की, मै तथा मेरा मित्र काफी डर गये थे इससे पहले हमारे पुलिस से कोई काम नही पडा था इसलिये हम इतने डर गये, तथा रफीक खान कानि0 ने कहा कि तुम नेतराम जी को नही जानते हो, 7.00 लाख रूपये दे दो नही तो तुम्हे अभी बंद करेगे। मेरे पास से 3.60 लाख रूपये उसी समय ले लिये तथा दिनांक 10.08.24 को ही गुलाबपुरा में हॉस्पिटल के सामने मेरे से रफीक खान कानि0 ने 1.40 लाख रूपये और ले लिये। इसके बाद रफीक खान मेरे को 2.00 लाख रूपये के लिये बार-बार वाट्सएप वॉइस कॉल कर परेशान कर रहा था। जिसकी मैने मेरे दोस्त के मोबाइल से ऑडियो विडियो रिकॉर्डिग करी थी। श्री आमिर खान ने बताया कि 03 वाट्सएप वॉइस कॉल की ऑडियो विडियों रिकॉर्डिंग है। उक्त रिकॉर्डिग वार्ताओं में रफीक खान कानि0 पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा मुझे कॉल कर श्री नेतराम एसआई के नाम से शेष रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये मांग रहा है। उक्त वाट्सएप वॉइस कॉल जिसमें दिनांक 13.08.24 समय 05.18 पीएम पर वार्ता हुई थी जो 51.00 सैकण्ड वार्ता हुई थी। जिसको मैने मेरे मित्र अहमद नूर खान के मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। इसके बाद मैने समय 05.20 पीएम पर मैने मेरे

मोबाइल नं0 . से रफीक खान के मोबाइल नं0 पर वाट्सएप वॉइस कॉल किया जिसकी रिकॉर्डिंग भी अहमद नूर खान के मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। दिनांक 15.08.24 को समय 6.12 पीएम पर रफीक ने मेरे मोबाइल नं0 पर रफीक ने वाट्सएप वॉइस कॉल जिसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। उक्त सभी रिकॉर्डिंग मेरे मित्र के मोबाइल से की गई थी। जिसके मोबाइल नं0 है। मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को उक्त मूल मोबाइल एवं रिकॉर्ड वार्ताओ को डिजीटल डिवाईस में प्रस्तुत करने की कहा तो बताया कि मेरा मित्र घरेलू काम में व्यस्त होने से अभी आ नही सकता है। मेरे पापा ने मुझे बताया कि श्री नेतराम एसआई ने रफीक खान कानि0 के मार्फत जो 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि ली है, उसमें से 1.00 लाख रूपये वापस लौटाने पर सहमत हो गया है। आईन्दा उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ से सें संबंधित पैन ड्राईव प्रस्तुत कर दूंगा। श्री आमिर खान ने बताया कि अभी तक श्री नेतराम एसआई का रिश्वत राशि लौटाने के संबंध में फोन नही आया। परिवादी को रूखसत किया गया, तथा कार्यवाही की गोपनीयता एवं रिकॉर्ड वार्ताओ को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 26.08.2024 समय 10.20 ए.एम पर परिवादी श्री उम्मेद खा ने जरिये मोबाइल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तथा श्री नेतराम एसआई की ईलाके मे ड्युटी रहेगी। इसलिए शायद आज मुझे रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये लौटाने के लिये फोन नही करेगा। मेरे पास श्री नेतराम का फोन आते ही में मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। दिनांक 28.08.2024 समय 10.10 एएम पर परिवादी श्री उम्मेद खा ने जरिये मोबाइल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि आज और कल दो दिन की मोहर्रम मे श्री नेतराम एसआई की ईलाके मे ड्युटी रहेगी। इसलिए शायद दो दिन मुझे रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये लौटाने के लिये फोन नही करेगा। मेरे पास श्री नेतराम का फोन आते ही में मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। दिनांक 29.08.2024 समय 10.15 ए.एम पर परिवादी श्री उम्मेद खा ने जरिये मोबाइल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि अभी तक श्री नेतराम एसआई का रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये लौटाने के लिये फोन नही करेगा। मेरे पास श्री नेतराम का फोन आते ही में मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की पूर्ण हिदायत दी गई। दिनांक 30.08.2024 समय 10.15 एएम पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं अपने लडके श्री आमिर खान के साथ उपस्थित कार्यालय आया तथा मुझ उप अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 29.08.2024 को श्री नेतराम एएसआई मोहर्रम ड्युटी के दौरान कानिया गॉव मे शाम 05.15 पीएम के लगभग मिला तथा मुझे कहा कि आपको 1.00 लाख रूपये लौटाने है। पेमेन्ट आप ले जाओगे या बच्चे को भेजोगे तो मैने कहा कि अभी बच्चा यहॉं नही है कहॉं जाउगा पेमेन्ट लेके, आप चौकी पर मंगवा लेना, तो मुझे कहा कि मै चौकी पर पेमेन्ट लेनदेन नही करता हूँ। इसके बाद श्री नेतराम ने किसी को मेरे सामने ही अपने फोन से पेमेन्ट मंगवाने हेतू किसी दलाल से फोन पर पूछ रहा था। सम्भवतः श्री नेतराम अपने दलाल से पेमेन्ट मंगवा कर मेरे लडके को दिलवायेगा तथा श्री नेतराम ने मुझे यह भी बताया कि रफीक अभी अजमेर छुट्टी गया है। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री नेतराम के कई तस्करो से संपर्क है तथा रिश्वत राशि लौटाने मे काफी सर्तकता बरत रहा है तथा चौकी पर वार्ता करते समय भी अपने अधिनस्थ स्टॉफ एवं अपने दलालो को आस पास भिजवा कर चैक करता है। श्री नेतराम के पास एक प्राईवेट केम्पर गाडी है जिसके आगे बंपर लगा हुआ है नेतराम ने यह गाडी अपने दलालो व बदमाशो को जो तस्करी के काम मे लिप्त है को दे रखी है जो दिन भर इन गाडियो को रोड़ पर ईधर से उधर भगाते है तथा नेतराम के सारे अवैध कामो मे काम मे ली जाती है। सम्भवतः श्री नेतराम मुझे एक दो दिन मे रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये लौटायेगा। समय 11:55 एएम. पर श्री राजेश कुमार एसआई को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु मय पत्रांक 1284 दिनांक 30.08.2024 कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा रवाना किया गया। समय 01.45 पी.एम पर श्री राजेश कुमार एसआई मय दो स्वतंत्र गवाह 01. श्री मदनलाल पुत्र श्री कल्याणमल लोहार उम्र 48 साल निवासी दान्थल थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक जिला भीलवाडा 02. श्री कृष्णापाल सिंह चुण्डावत पुत्र श्री देवेन्द्रसिंह उम्र 29 साल निवासी भादू पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक जिला भीलवाडा से कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा के मय पत्रांक सम/8517 दिनांक 30.08.2024 के कार्यालय उपस्थित आये। गवाह से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही दोनो गवाह ने ही अपनी अपनी सहमति प्रदान की। परिवादी श्री उम्मेद खॉं व उसके लडके श्री आमिर खान का दोनो गवाहान से आपस मे परिचय करवाया गया। गवाह को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.15 पी.एम पर रिश्वत राशि लेनदेन सत्यापन वार्ता दिनांक 24.08.2024 को कार्यालय के मालखाना मे रखे डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को निकाल कर मौतविरान के समक्ष परिवादीगण श्री उम्मेद खॉं व उसके पुत्र श्री आमिर खान एवं आरोपी श्री नेतराम एसआई के मध्य दिनांक 24.08.2024 को रिश्वत राशि लेनदेन सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है। रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री उम्मेद खॉं एवं श्री आमिर खान ने अपनी अपनी आवाज पहचान की तथा उक्त दोनो ने आरोपी श्री नेतराम की आवाज की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर बारी बारी से चलाकर शब्द ब शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री प्रेमराज कानि नं 225 से टाईप करवाई गई। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लैपटॉप से श्री प्रेमराज कानि 225 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव जिसमें से एक पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का आरोपी हेतु उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर कपड़े की

थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट किया जाकर मार्क M-1 दिया गया। अनुसंधान अधिकारी एवं कार्यालय उपयोग हेतू दो पेनड्राईव 32-32 जी.बी. के पृथक पृथक उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर पीले लिफाफे मे रखे जाकर खुले रखे गये तथा रिकॉर्ड वार्ताओ का मूल मैमोरी कार्ड 32 जी.बी. उसी मैमोरी कार्ड के कवर मे रख कर एक सफेद की कपडे की थेली मे रखकर माननीय न्यायालय हेतू नियमानुसार सीलचिट कर मार्क M दिया गया। परिवादी श्री उम्मेद खॉं व श्री आमिर खान को मन उप अधीक्षक द्वारा श्री रफीक खान की रिश्वत मांग की मोबाईल फोन से की गई ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत करने के संबंध मे कहा तो श्री आमिर खान ने बताया कि दिनांक 13.08.2024 व 15.08.2024 को श्री रफीक खान की मेरे से वाट्सऐप वॉयस कॉल से 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि पूर्व मे प्राप्त करने एवं शेष 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि और मांगने के संबंध मे मेरे फोन की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग श्री अहमद नूर खॉं उर्फ टीनू के मोबाईल से की गई थी। श्री अहमद नूर खॉं उर्फ टीनू किसी कानूनी कार्यवाही मे पिछले 4-5 रोज से व्यस्त है। अतः मै प्रातः अहमद नूर खॉं उर्फ टीनू से संपर्क कर उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ की ऑडियो विडियो क्लिप का पेनड्राईव लाकर प्रस्तुत कर दूंगा। शील्ड शुदा आर्टीकल्स को मन् उप अधीक्षक पुलिस की कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 31.08.2024 समय 11.00 ए.एम पर श्री मदनलाल लोहार व श्री कृष्णापाल स्वतंत्र गवाह कार्यालय मे उपस्थित आ चुके हैं। जिनको कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। परिवादी के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। समय 01.15 पी.एम पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं और श्री आमिर खान कार्यालय मे उपस्थित आये। श्री आमिर खान ने बताया कि दिनांक 10.08.24 की रात्रि को श्री नेतराम एसआई, कानि श्री रफीक खान एवं स्टॉफ ने मेरी गाडी रूकवाकर जबरदस्ती डेढ घंटे तक मुझे एवं मेरे दोस्त कार्तिक को रोक लिया। तथा रफीक के मार्फत 7.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की, मै तथा मेरा मित्र काफी डर गये थे इससे पहले हमारे पुलिस से कोई काम नही पडा था इसलिये हम इतने डर गये, तथा रफीक खान कानि0 ने कहा कि तुम नेतराम जी को नही जानते हो, 7.00 लाख रूपये दे दो नही तो तुम्हे अभी बंद करेगे। मेरे पास से 3.60 लाख रूपये उसी समय ले लिये तथा दिनांक 10.08.24 को ही गुलाबपुरा में हॉस्पिटल के सामने मेरे से रफीक खान कानि0 ने 1.40 लाख रूपये और ले लिये। इसके बाद रफीक खान मेरे को 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि देने के लिये बार-बार वाट्सएप वॉइस कॉल कर परेशान कर रहा था। जिसकी मैने मेरे दोस्त अहमद नूर खॉं उर्फ टीनू के मोबाइल से ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग करी थी। श्री आमिर खान ने बताया कि 03 वाट्सएप वॉइस कॉल की ऑडियो विडियों रिकॉर्डिंग है। उक्त रिकॉर्डिंग वार्ताओं में रफीक खान कानि0 पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा मुझे कॉल कर श्री नेतराम एसआई के नाम से शेष रिश्वत राशि 2.00 लाख रूपये मांग रहा है। उक्त वाट्सएप वॉइस कॉल जिसमें दिनांक 13.08.24 समय 05.18 पीएम पर वार्ता हुई थी जो 51.00 सैकण्ड वार्ता हुई थी। जिसको मैने मेरे मित्र अहमद नूर खान के मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। इसके बाद मैने समय 05.20 पीएम पर मैने मेरे मोबाइल नं0 से रफीक खान के मोबाइल नं0 पर वाट्सएप वॉइस कॉल किया जिसकी रिकॉर्डिंग भी अहमद नूर खान के मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। दिनांक 15.08.24 को समय 6.12 पीएम पर रफीक ने मेरे मोबाइल नं0 पर वाट्सएप वॉइस कॉल जिसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। उक्त सभी रिकॉर्डिंग मेरे मित्र के मोबाइल से की गई थी। जिसके मोबाइल नम्बर है तथा उक्त मोबाईल का मॉडल रेडमी नोट 13 प्रो प्लस है जिसमे से मैने रिकॉर्ड वार्ताओ की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग एवं स्क्रीनशॉट को ओटीजी लगाकर 32 जी.बी. MORMEX स्टील बॉडी पैन ड्राईव मे कॉपी किया है। श्री आमीर खान द्वारा उक्त पेनड्राईव मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया जिसको कब्जे एसीबी लिया गया। समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री आमिर खान द्वारा प्रस्तुत पैनड्राईव को मौतबिरान के समक्ष को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वी.एल.सी प्लेयर से बारी बारी से चलाकर शब्द ब शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री प्रेमराज कानि नं 225 से टाईप करवाई गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं की हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यालय हाजा के लैपटॉप से श्री प्रेमराज कानि 225 से पैनड्राईव कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल दो पेनड्राईव जिसमें से एक पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का आरोपी हेतु उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट किया जाकर मार्क A-1 दिया गया। अनुसंधान अधिकारी एक पेनड्राईव 32 जी.बी. के पृथक उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर पिले लिफाफे मे रखे जाकर खुले रखे गये तथा रिकॉर्ड वार्ताओ का पैनड्राईव 32 जी.बी. उसी एक लिफाफे मे रख कर एक सफेद की कपडे की थेली मे रखकर माननीय न्यायालय हेतू सीलचिट कर मार्क A दिया गया। समय 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं और श्री आमिर खान के बताये अनुसार आरोपी श्री नेतराम एसआई आज कल मे ही रिश्वत राशि अपने किसी दलाल के माध्यम से देगा। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक द्वारा शील्ड शुद्रा आर्टीकल्स को कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। समस्त एसीबी टीम एवं गवाहान को प्रातः 9 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। दिनांक 01.09.2024 समय 09.00 ए.एम पर समस्त कार्यालय स्टाफ एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मदनलाल लोहार व श्री कृष्णापाल कार्यालय मे उपस्थित आये। समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं ने पूर्व मे मुझ उप अधीक्षक को बताया था कि आरोपी श्री नेतराम अपने किसी परिचित से रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये दिलवायेगा तथा मेरे चौकी पर जाकर बातचित के दौरान ही व अपने परिचित को फोन करेगा तथा मेरे लडके को रिश्वत राशि लेकर आने हेतू बतायेगा। परिवादी को बताये अनुसार आरोपी परिवादी श्री उम्मेद खॉं से सीधी रिश्वत राशि लेनेदेन नही करेगा। अतः श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन कर एक अन्य डिजिटल वॉयस

रिकॉर्डर मंगवाया गया। तथा कार्यालय मालखाने से दो 32-32 जी.बी. के नये मैमोरी कार्ड लेनदेन वार्ता सत्यापन एवं सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी हेतू एक नया मैमोरी कार्ड 128 जीबी सेनडिस्क कंपनी का निकलवाया गया। तथा 128 जीबी का नया मैमोरी कार्ड श्री अशोक कुमार कानि. 367 को सुपुर्द कर अपने मोबाईल मे डाल कर ट्रेप कार्यवाही के दौरान उक्त मैमोरी कार्ड एवं फोन को ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग मोड पर रखने के निर्देश दिये। समय 10.15 ए.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री खालिद हैड कानि., श्री अशोक कुमार कानि, श्री पवन कुमार कानि. मय कार्यालय का लेपटॉप प्रिन्टर एवं आवश्यक, रिकॉर्डिंग डिवाइस एवं अनुसंधान सामग्री के मय प्राईवेट वाहन के एवं श्रीमति कल्पना बंशीवाल पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री राजेश कुमार एसआई, श्री नेमीचंद एएसआई, मय दो स्वतंत्र गवाहान के मय कार्यालय के लेपटॉप प्रिन्टर एवं आवश्यक अनुसंधान सामग्री के मय प्राईवेट वाहन के एवं श्री श्रवणलाल हैड कानि., श्री प्रेमराज कानि. 225 मय स्वतंत्र गवाहान श्री मदनलाल लोहार व श्री कृष्णापाल के मय वाहन प्राईवेट के एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गोपाल लाल जोशी एएसआई, श्री रामपाल एएसआई के मय प्राईवेट वाहन से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतू गुलाबपुरा की तरफ रवाना हुये। तथा आरोपी श्री रफीक खान कानि. के घर की खाना तलाशी एवं कार्यवाही के दौरान डिटेन करने हेतू श्री भागचंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो अजमेर को टीम तैयार करने हेतू निवेदन किया गया। समय 11.30 ए.एम.पर मन् पारसमल उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के रवानाशुदा विजयनगर पहुचा तथा श्रीमति कल्पना बंशीवाल मय टीम को कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री नेतराम के आवास की खाना तलाशी के निर्देश देकर अपनी उपस्थिति छुपाकर बांदनवाडा के आस पास पहुंच कर मुकिम होने के निर्देश दिये। तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गुलाबपुरा 29 मील पुलिस चौकी से 10-15 कि.मी. पहले मुकिम होने के निवेदन किया गया। तथा श्री श्रवण लाल हैड कानि को अपनी टीम के साथ विजयनगर से 4-5 कि.मी. आगे अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम होने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री उम्मेद खॉं एवं उसके लडके से जरिये मोबाईल से संपर्क कर दो मोटरसाईकिल तैयार रखने हेतू बताया गया। मन उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नेतराम की पुलिस थाना गुलाबपुरा एवं पुलिस चौकी 29 मील पर उपस्थिति के संबंध मे गोपनीय जानकारी करवाई गई तो जानकारी मिली कि आरोपी अभी ईलाके मे गया हुआ है। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा विजयनगर से 3-4 कि.मी. आगे हाईवे पर मुकिम हुआ। तथा आरोपी के थाने से बाहर ईलाके मे होने एवं आरोपी श्री रफीक खान के अजमेर मे अवकाश पर होने के संबंध मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया गया। समय 02.15 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नेतराम एसआई की गोपनीय जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपी थाने की तरफ आ चुका है, लेकिन अभी थाने से भी निकल चुका है। परिवादी श्री उम्मेद खॉं ने भी बताया कि आरोपी अभी थाने की तरफ आया था लेकिन अभी अभी कही निकल गया है ओर चौकी 29 मील की तरफ भी नजर नही आया है। इस पर परिवादी को दो मोटरसाईकिल भिजवाने की निर्देश दिये। जिस पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं ने अपने लडके श्री आमिर खान व एक अन्य व्यक्ति के साथ दो मोटरसाईकिल भिजवाई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा एक मोटरसाईकिल श्री पवन कुमार कानि एवं श्री अशोक कुमार कानि को गोपनीय रूप से आरोपी की लोकेशन पता करने हेतू पुलिस थाना गुलाबपुरा एवं पुलिस चौकी 29 मील की तरफ रवाना किया। तथा परिवादी के पुत्र श्री आमिर खान को हमराह लिया। समय 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं ने बताया कि मैने जानकारी की है, कि श्री नेतराम एसआई अभी पुलिस चौकी 29 मील पर उपस्थित है, तथा कानिस्टेबल श्री पवन कुमार एवं श्री अशोक कुमार कानि ने भी गोपनीय जानकारी की तो आरोपी श्री नेतराम की उपस्थिति पुलिस चौकी 29 मील पर होना पायी गई। तत्पश्चात परिवादी को विजय गौशाला आडी पुलिया के पास मिलने के निर्देश दिये। तथा श्री पवन कुमार कानि एवं श्री अशोक कुमार कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के एवं श्री शिवराज कानि को पृथक पृथक मोटरसाईकिल से विजय गौशाला आडी पुलिया के पास पहुंच कर मुकिम होने के निर्देश दिये तथा मन उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय जाप्ता श्री श्रवणलाल हैड कानि मय टीम के विजय गौशाला आडी पुलिया की ओर रवाना हुआ। समय 03.50 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता के आडी पुलिया विजय गौशाला के पहुंचे । जहॉं पर परिवादी श्री उम्मेद खॉं मौजुद मिला जिसने बताया कि अभी श्री नेतराम एसआई चौकी पर ही मौजुद है जिससे मै रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे वार्ता कर लूंगा तथा यदि श्री नेतराम एसआई मुझे रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये किसी अन्य व्यक्ति से गुलाबपुरा या विजयनगर से दिलवाने के लिये कहेगा तो वह मेरे लडके आमिर खान को अमुक व्यक्ति से रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये प्राप्त करने की कहेगा, तो मै श्री नेतराम ने मेरे मोबाईल फोन से मेरे लडके से श्री नेतराम एसआई की वार्ता करवाउंगा। यदि आरोपी श्री नेतराम एसआई सीधे ही आपको पुलिस चौकी मे ही रिश्वत राशि दे देगा तो आप एसीबी टीम एवं श्री पवन कुमार कानि को देख कर अपने सिर पर साफी बांधकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री उम्मेद खॉं की तलाशी गवाह श्री कृष्णापाल सिंह से लिवाई गई तो एक मोबाईल फोन के अलावा कोई आपतिजनक वस्तु नही मिली। तत्पश्चात श्री पवन कुमार कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री उम्मेद खॉं को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री पवन कुमार कानि द्वारा परिवादी को समय 03.55 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पुलिस चौकी 29 मील की तरफ रवाना किया। तथा कानि श्री पवन कुमार के साथ श्री अशोक कुमार कानि को परिवादी के पिछे पिछे पुलिस चौकी की तरफ रवाना कर निर्देश दिये कि आप परिवादी को पुलिस चौकी मे आने व जाने को देखने का प्रयास

करे तथा अपनी उपस्थिति छुपाकर उपस्थित रहे। तथा मन उप अधीक्षक एवं श्री श्रवणलाल हैड कानि मय टीम को अपनी अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम होने के निर्देश दिये। परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन हेतू पुलिस चौकी की तरफ रवाना करने के संबंध मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एवं अन्य टीम को बताया गया। समय 04.10 पी.एम. मन उप अधीक्षक को श्री पवन कुमार कानि ने अपने फोन से वार्ता कर बताया कि परिवादी श्री उम्मेद खॉ पुलिस चौकी 29 मील से बाहर आ चुके है। तथा इनके आरोपी श्री नेतराम से कोई वार्ता नही होना बताया। तथा अपने फोन से ही श्री उम्मेद खॉ से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया कि मै रिकॉर्डर लेकर पुलिस चौकी के अंदर गया तथा श्री नेतराभ एसआई से वार्ता करनी चाही लेकिन स्टॉफ ने बताया कि श्री नेतराम एसआई अभी सो रहे है तथा उन्होने 5 बजे से पहले जगाने से मना किया है। तथा अभी कोई बात नही हो सकती है, आप 5 बजे बाद मे आना । इसके बाद मै पुलिस चौकी से बाहर आ गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री पवन कुमार कानि को सुपुर्द कर दिया है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपने घर पहुंच कर आरोपी का फोन आने एवं पॉच बजने तक का इंतजार करने के निर्देश दिये। तथा कानि श्री पवन कुमार एवं कानि श्री शिवराज को मोटरसाईकिल से परिवादी के पिछे पिछे उसके घर की तरफ रवाना किया तथा पॉच बजे के आस पास आरोपी श्री नेतराम का किसी तरह का फोन पर वार्तालाप होती है तो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करे। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री आमिर खान के वापस विजयनगर की तरफ रवाना होकर विजयनगर से 3-4 कि.मी. बाहर हाईवे पर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुये। समय 05.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री उम्मेद खॉ से जरिये मोबाईल संपर्क कर पुनः पुलिस चौकी पर जाकर आरोपी से लेनदेन से संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतू बताया। तथा आडी पुलिस विजय गौशाला के पास पहुंचने के निर्देश दिये। जिस पर समय 05.15 पीएम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के आडी पुलिस विजय गौशाला के पास पहुंचे। तथा कानि श्री पवन कुमार को निर्देश दिये कि आप डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री उम्मेद खॉ को दे दे तथा आप एवं श्री शिवराज कानि परिवादी के पुलिस चौकी मे आने जाने, रिश्वत राशि प्राप्ति के पश्चात निर्धारित ईशारा होने के संबंध मे मुझ उप अधीक्षक को अविलम्ब बतावे। तत्पश्चात कानि श्री पवन कुमार ने बताया कि मैने परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया है जो अभी अभी पुलिस चौकी के अंदर जा चुका है । तथा परिवादी पुलिस चौकी मे बैठे नजर भी आ रहे है। समय 05.50 पी.एम. पर समय 05.47 पीएम पर परिवादी श्री उम्मेद खॉ ने अपने मोबाईल फोन से अपने लडके आमिर खान को फोन कर बताया कि श्री नेतराम जी एसआई 1.00 लाख रूपये दे रहे है। और तू अभी कहा है, पुलिस चौकी पर आजा। इस पर श्री आमिर खान ने अपने पिताजी को फोन पर बताया कि मै अभी घर की तरफ हॅू और 10 मिनट मे आ रहा हॅू। श्री उम्मेद खॉ एवं श्री आमिर खान की मोबाईल वार्ता को कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड को श्री अशोक कुमार कानि से ऑपरेट करवा कर वार्ता को रिकॉर्ड की गई। तत्पश्चात तुरन्त ही आमिर खान को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर पुलिस चौकी 29 मील की तरफ रवाना किया गया । तथा मन उप अधीक्षक एवं अन्य समस्त एसीबी टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिये। तथा श्री आमिर खान को पुलिस चौकी 29 मील मे रिकॉर्डर के रवाना करने एवं परिवादी श्री उम्मेद खॉ के पुत्र से हुई वार्ता एवं अपनी टीम के साथ गुलाबपुरा से नजदीक ही अपनी उपस्थिति रखने के संबंध मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया गया। कानि श्री पवन कुमार व श्री शिवराज कानि को परिवादी के पुत्र को रिकॉर्डर के साथ पुलिस चौकी मे भेजने के संबंध मे बताया गया। समय 06.08 पी.एम. पर कानिस्टेबल श्री पवन कुमार ने मुझ पारसमल उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी श्री उम्मेद खॉ पुलिस चौकी 29 मील से बाहर आ चुके है तथा श्री नेतराम ए.एस.आई. ने पुलिस चौकी मे ही परिवादी श्री उम्मेद खॉ को 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लौटा दी है, तथा श्री नेतराम ए.एस.आई. चौकी पर ही उपस्थित है, उक्त सूचना पर मन उप अधीक्षक पारसमल मय जाप्ता श्री खालिद हैड कानि, श्री अशोक कुमार कानि, स्वतंत्र गवाह श्री कृष्णापाल सिंह, श्री मदनलाल को हमराह लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस चौकी 29 मील पर की ओर रवाना हुआ तथा रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराजसिंह एवं जाप्ते को दी। एवं अन्य हमराही जाप्ता श्री श्रवणलाल हैड कानि., श्री प्रेमराज कानि. मय प्राईवेट वाहन से मेरे पिछे पिछे पुलिस चौकी 29 मील पहुंचे। जहॉ परिवादी श्री उम्मेद खॉ एवं उनका लडका श्री आमिर खान पुलिस चौकी 29 मील के बाहर मौजुद मिले। श्री उम्मेद खॉ ने मुझ उप अधीक्षक को बताया कि श्री नेतराम ए.एस.आई. ने अभी अभी मुझे 1.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि लौटाई है रिश्वत राशि लेकर मै चौकी 29 मील के बाहर आकर आपके कानिस्टेबल श्री पवन कुमार को सिर पर साफी बांधकर ईशारा किया। जिनको मैने एवं मेरे लडके ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सम्भला दिये है जिन्होने बंद करके अपने पास रख लिये है और दोनो ही चौकी के अंदर गये है। जिस पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के पुलिस चौकी 29 मील मे प्रवेश किया तो चौकी प्रभारी के ऑफिस के गेट पर श्री पवन कुमार कानि व श्री शिवराज कानि मौजुद मिले। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति जिसने एक ग्रीन कलर की हॉफ सोल्डर की बनियान एवं लॉवर पहने हुये तथा पाव मे चप्पल पहनी हुई बैठा नजर आया। जिससे मन उप अधीक्षक ने नाम पता पूछा तो अपना नाम नेतराम पुत्र श्री फूलचंद जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी भूडोली रोड थाना नीम का थाना कोतवाली जिला नीम का थाना हाल निवासी पी.के.वी. हॉस्पीटल के पास विजयनगर जिला ब्यावर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना

गुलाबपुरा जिला भीलवाडा का होना बताया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराजसिंह मय जाप्ता के ईमदाद हेतू उपस्थित आये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री उम्मेद खॉं एवं उसके लडके श्री आमिर खान को प्रभारी कक्ष मे बुलाया तो बताया कि श्री नेतराम एएसआई ने मेरे लडके से 7.00 लाख रूपये की मांग कर 5.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि ली थी। जिसमे से मुझे 1.00 लाख रूपये आज लौटाये है । मेरी श्री नेतराम एएसआई से कोई उधार की लेनेदन नही है । यह जो रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये आज दी है वो 5.00 लाख रूपये मे से दी है। तत्पश्चात श्री नेतराम ए.एस.आई. से आज परिवादी श्री उम्मेद खॉं को 1.00 लाख रूपये लौटाये जाने के संबंध मे पूछा तो बताया कि 1.00 लाख रूपये श्री उम्मेद खॉं ने मेरे से उधार लिये है, ओर इन्होने मेरे को कहा कि मेरी डिमांड जमा कराना है, मैने अभी जस्ट यहा से मंगा के दिये है, ये परसो भी मुझे मिले थे मोहर्रम ड्युटी मे था, तब इन्होने मुझे कुछ पैसो के लिये कहा था तब मैने कहा था कि अभी मेरी जेब मे नही है, इन्होने अभी जस्ट मुझे कहा है, मैने पंप से उधार लाकर दिये है। इस पर श्री उम्मेद खॉं से श्री नेतराम ए.एस. आई. द्वारा 1.00 लाख रूपये उधार देना बताने पर पूछने पर बताया कि मैने इनसे उधार पैसे कब मांगे, मेरे लडके से रात को रोक कर 7.00 लाख रूपये की रफीक ने डिमांड की गई थी, ओर 5.00 लाख रूपये उसको दे दिये थे, मैने इनको कहा कि 2.00 लाख रूपये रफीक ओर मांग रहा है, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा श्री उम्मेद खॉं को पूछा कि आप इनसे कब मिले तो बताया कि मै इनसे बार बार दो बार तीन बार मिल गया हॅू, लास्ट बार मोहर्रम ड्युटी के दौरान मिले थे, उस समय इन्होने कहा कि मै 1.00 लाख रूपये किसी से दिला दूं आपको 1.00 लाख रूपये की हां भरी थी इन्होने, कहा कि 1.00 लाख रूपये ही दूंगा, मैने कहा कि 2.00 लाख दे दो, तो कहा कि एक ही दूंगा, आज एक लाख रूपये दिये है, ये 1.00 लाख रूपये मेरे लडके से जो 5.00 लाख रूपये लिये है उनमे से दिये है तथा कहा कि 4.00 लाख रूपये नही दूंगा, मेरी इससे श्री नेतराम से कोई लेनदेन बाकी नही है। इस पर श्री नेतराम ए.एस.आई. ने पुनः अपना नाम स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि इनके लडके से न तो मैने एक रूपया लिया और ना मैने एक रूपये की बात की, ओर इनके लडके की गाडी मैने एक महिने पहले रात को ब्लैक कलर की गाडी चैक हुई थी, उसमे जो संदिग्ध व्यक्ति था, उसका फोटो मैने बाकायदा मैच किया है राजकॉप पे, एक रूपये की मैने बात नही की, एक रूपये मैने नही लिया, इन्होने मुझे उधार के लिये नही कहा हो तो चाहे इनको मस्जिद चढा दो या फिर मै मंदिर चढ जाउ। कोई भी रिकॉर्ड इनके बच्चे को मैने कॉल किया हो, इनका बच्चा मुझे मिला हो या फिर कभी भी मैने इनसे एक रूपया भी लिया हो। तत्पश्चात परिवादी के लडके श्री आमिर खान को चौकी प्रभारी कक्ष मे गवाहान के समक्ष बुलाया तथा घटना के बारे पूछा तो बताया कि 10 तारीख को मै मेरे साले से 3.60 लाख रूपये मंगाये थे खाना खाने के कारण हम ज्यादा लेट हो गये थे, मेरे पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी यह गाडी किसी हिस्ट्रीशीटर की थी जिसकी दुश्मनी के कारण मुझे रोका गया तथा पैसे वसूल किये गये, विडियो बनाई 3.60 लाख रूपये मेरे पास थे, मेरे साथ मेरा मित्र कार्तिक शर्मा था, तथा पैसे किसने लिये के संबंध मे पूछने पर बताया कि नेतरामजी थे, रफीक था ओर एक कानिस्टेबल था तथा मेरे पर केस ठोकने की ऐवज मे मेरे पैसे वसूले गये, मुझे कहा कि तूम गुण्डे हो, वो हो, तथा धमकाया तथा यह पूछने पर कि आपने पैसे किसको दिये तो बताया कि मैने रफीक को पैसे दिये, वो पैसे नेतराम जी को गये जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तथा रफीक ने कहा कि नेतराम मुझे बार बार पैसो के लिये फोन कर रहे है, आप पैसो दो ओर मेरे 7.00 लाख मे हुआ था। तथा मैने 3.60 लाख रूपये और 1.40 लाख रूपये ऐसे करके 5.00 लाख रूपये मेरे गये थे ले लिये थे तथा पैसे रफीक को दिये थे। तत्पश्चात पुनः श्री नेतराम ए.एस.आई. ने बताया कि जिस समय चैक किया तथा इसके व इसके साथी का फोटो मैच किया तथा इसने कहा कि ये मेरा निजी पैसा है, इसको पैसे वापस दिये उसका विडियो है, और रिकॉर्डेड इसको दिया, जिसने काउन्ट करके ले लिया था। उसके बाद से आज दिन तक मैने इससे कोई बात नही की, ओर ना ही मैने इससे पैसे लिये। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी द्वारा लोटाई गई रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये के बारे मे पूछने पर अपने पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब मे से 500-500 रूपये नोटो की दो गडीयॉं निकाल कर दी, जिसको मन उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान से पृथक पृथक गिनवाई गई तो दोनो गड्डीया मे 500-500 के 200 नोट कुल 1.00 लाख रूपये होना पाया गया। उक्त रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये को कब्जे एसीबी ली गई। तत्पश्चात श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रनिब्यूरो अजमेर के निर्देशानुसार आरोपी श्री नेतराम के विजयनगर स्थित आवास की खाना तलाशी हेतू श्रीमति कल्पना बंशीवाल पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता एवं श्रीमति कंचन भाटी पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो इंटेलीजेन्स यूनिट अजमेर को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात आरोपी कानिस्टेबल श्री रफीक खान को प्रकरण मे आवश्यक पूछताछ हेतू एवं उसके आवास की खाना तलाशी हेतू निर्देशानुसार श्री भागचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो अजमेर को निवेदन किया गया। तथा आरोपी के पुलिस चौकी 29 मील मे बनाये गये आवासीय कमरे को लॉक कर चाबी मन उप अधीक्षक को कब्जे मे ली गई जिसका आईन्दा आरोपी की उपस्थिति मे तलाशी ली जावेगी। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतू आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई. को समय 7.00 पीएम पर पुलिस चौकी 29 मील गुलाबपुरा से मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादीगण के लेकर भीलवाडा रवाना हुआ। तथा श्री शिवराज कानि को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री नेतराम एएसआई के विजयनगर स्थित आवास के सर्च मे ईमदाद हेतू रवाना किया गया। समय 8.00 पीएम पर कार्यालय भ्रनिब्यूरो भीलवाडा प्रथम पहुचे। आरोपी को श्री श्रवणलाल हैड कानि एवं श्री खालिद हैड कानि की निगरानी मे बैठाया गया। चूकी आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई. का स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। अतः रिश्वत राशि नोट 1.00 लाख रूपये (500-500 की

दो गड्डीया) को बतौर रिश्वत राशि वजह सबूत मे जप्त कर एक पिले लिफाफे मे रख कर एक सफेद कपडे की थेली मे रख कर शील्ड मोहर कर मार्क N अंकित कर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा आरोपी श्री नेतराम एएसआई के पास मिले दो मोबाईल फोन जिसमे एक मोबाईल ऐप्पल-13 प्रो0 बरंग सफेद जिसमे ऐयरटेल कंपनी की सिम लगी हुई जिसके नम्बर [redacted] है व दूसरा मोबाईल फोन सैमसंग अल्ट्रा-23, बरंग ब्लैक जिसमे जिओ कंपनी की सिम लगी हुई जिसके नम्बर [redacted] है, को कब्जे एसीबी लिया जाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। तथा उक्त दोनो फोनो के पासवर्ड फर्द पर अंकित किया जाकर अनलॉक किया गया। तथा उक्त फोनो को अनुसंधान हेतू खुला रखा गया। तथा श्री भागचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये टेलिफोन बताया कि श्री रफीक खान कानिस्टेबल को उसके अजमेर स्थित आवास पर तलाश किया गया लेकिन शायद उसको एसीबी कार्यवाही की भनक लग चुकी है, जो उसके आवास से रूहपोश है । दिनांक 09.08.2024 व 10.08.2024 के पुलिस थाना गुलाबपुरा के रोजनामचा आम की प्रतियॉं प्राप्त करने हेतू थानाधिकारी श्री पूरणमल से जरिये ई मेल प्राप्त की गई। जिसके अनुसार आरोपी श्री नेतराम एएसआई मय जाप्ता श्री रामनारायण कानि नं 668 व चालक कानि श्री रफीक खान मय वाहन सरकारी के दिनांक 09.08.2024 को थाने से रोजनामचा रपट संख्या 036 समय 08.19 पीएम पर रात्रीकालीन गस्त मे रवाना किया जाना पाया गया है तथा दिनांक 10.08.2024 समय 05.07 एएम पर रपट संख्या 005 पर थाने पर वापसी दर्ज किया जाना अंकित है। आरोपी श्री नेतराम एएसआई एवं हमराही स्टॉफ की रात्री गस्त ड्युटी के दौरान परिवादी के पुत्र श्री आमिर खान एवं उसके साथी श्री कार्तिक शर्मा को दौराने रात्री गस्त रोक कर चैक करना, उनके पास कोई संदिग्ध राशि मिलना एवं उनके विडियो बनाकर उनको 3.60 लाख रूपये की राशि वापस लौटाना का किसी प्रकार की रपट थाने के रोजनामचा आम मे अंकित होना नही पायी गई । इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो ओर साक्ष्यो से पाया गया कि परिवादी श्री उम्मेद खॉं के पुत्र श्री आमिर खान दिनांक 09.08.2024 व 10.08.2024 की रात्री दरमियानी अपने मित्र के जीजाजी की स्कॉर्पियो गाडी लेकर विजयनगर स्थित श्रीनाथ हॉटल पर गये तथा अजमेर से अपने साला श्री लकी से घरेलू कार्य हेतू 3.60 लाख रूपये मंगवाये थे जिसको लेने के लिये श्री आमिर खान अपने साथी के साथ गया था, वापसी करीबन 01.30 एएम पर पुलिस थाना गुलाबपुरा के एएसआई श्री नेतराम, कानि श्री रफीक मोहम्मद व एक अन्य कानिस्टेबल द्वारा आमिर खान की गाडी को रूकवाया तथा उसको बदमाश गोपाल गुर्जर के साथ उठने बैठने, बदमाशो से संबंध रखने तथा अनर्गल आरोप लगाकर बंद करने की धमकी देकर उसके पास मिली 3.60 लाख रूपये राशि का विडियो बनाया तथा श्री नेतराम एएसआई, कानिस्टेबल श्री रफीक खान ने श्री आमिर खान को किसी प्रकरण मे बंद नही करने की ऐवज मे 7.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। तथा मौके पर ही 3.60 लाख रूपये की राशि आरोपी श्री नेतराम एएसआई एवं श्री रफीक खान कानिस्टेबल द्वारा प्राप्त कर ली तथा दिनांक 10.08.2024 को श्री रफीक खान ने आमिर खान से 1.40 लाख रूपये और प्राप्त कर लिये । इस प्रकार दिनांक 10.08.2024 को श्री रफीक खान द्वारा कुल 5.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि आरोपी एएसआई श्री नेतराम के नाम से ग्रहण की तथा शेष 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि के लिये आरोपी कानिस्टेबल श्री रफीक खान द्वारा बार बार वाट्सऐप वॉयस कॉल कर आमिर खान से मांग की जा रही थी, जिस पर आरोपी कानिस्टेबल श्री रफीक खान के वाट्सऐप वॉयस कॉल की श्री आमिर खान ने अपने साथी श्री अहमद नूर खान उर्फ टीनू के मोबाईल से ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की गई। तत्पश्चात श्री आमिर खान ने परेशान होकर अपने पिता श्री उम्मेद खॉं को सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया जिस पर दिनांक 17.08.2024 को परिवादी श्री उम्मेद खॉं आरोपी श्री नेतराम से उसके कार्यालय पुलिस चौकी 29 मिल गुलाबपुरा जाकर मिला तथा उसके पुत्र को बिना वजह ही रोक कर 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि वसूलने तथा कानिस्टेबल रफीक खान द्वारा 2.00 लाख रूपये और मांगे जाने के संबंध मे बताया गया और ली गई रिश्वत राशि 5.00 लाख रूपये लौटाने के लिये कहा तो मना कर दिया। परिवादी के पुत्र श्री आमिर खान द्वारा आरोपी श्री रफीक खान द्वारा फोन पर मांगी जा रही रिश्वत राशि की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की जानकारी आरोपीगणो को ज्ञात होने पर अपने परिचित श्री मोहम्मद गनी खान को परिवादी के घर भिजवा कर ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग डिलिट करने तथा मामला 3.00 लाख रूपये मे सेटल करने हेतू दबाव बनाया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 21.08.2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे शिकायत दर्ज करवाई। तत्पश्चात दिनांक 24.08.2024 को परिवादी को भेज कर आरोपी श्री नेतराम से रिश्वत लेनदेन सत्यापन वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहा कि रफीक को कोई पैसे नही देने है, रफीक भी अपना ही है, अब रफीक का आपके पास फोन नही आयेगा, रफीक को कुछ नही कहना है मै लेते रहूगा रफीक से आप चाहो तो पूरा पैसा वापस दे देवा एव परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लौटाने का तकाजा करने पर 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लौटाने पर सहमत हुआ। लेनदेन सत्यापन वार्ता दिनांक 24.08.2024 के अनुसरण में आज दिनांक 01.09.2024 को आरोपी श्री नेतराम द्वारा पुलिस चौकी 29 मील थाना गुलाबपुरा पर 1.00 लाख रूपये रिश्वती राशि परिवादी श्री उम्मेद खॉं को लौटाने पर उक्त को जप्त किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री नेतराम एएसआई पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयेाग कर स्वयं के लिये अपने अधिनस्थ कार्मिक श्री रफीक खान के माध्यम से कुल 7.00 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 5.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण कर अनुचित लाभ प्राप्त करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री नेतराम एएसआई, श्री रफीक खान कानिस्टेबल का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित

करना पाया जाता है। आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई. को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही एवं उक्त कार्यवाही की कानिस्टेबल श्री अशोक कुमार नं 367 के मोबाईल फोन मे 128 जी.बी. का मैमोरी कार्ड डालकर सम्पूर्ण कार्यवाही की धारा 105 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की गई। दिनांक 02.09.2024 समय 04.45 ए.एम. पर आरोपी श्री नेतराम पुत्र श्री फूलचन्द जाति जाट उम्र 45 साल निवासी भूदोली रोड, नीम का थाना, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नीम का थाना हाल पी.के.वी. हॉस्पीटल के पास विजयनगर जिला ब्यावर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाडा को अपराध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 05.00 ए.एम. पर जरिये फर्द जप्ती दो मोबाईल फोन जिसमे एक ऐप्पल प्रो-13 व दूसरा अल्ट्रा-23 सैमसंग को प्रकरण हाजा मे बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त दोनो मोबाईल फोन मे प्रकरण की विषयवस्तु होने से दोनो फोन को खुला रखा गया जिनमे आईन्दा अनुसंधान किया जायेगा । समय 01.15 पी.एम. पर परिवादी श्री उम्मेद खॉ की दिनांक 01.09.2024 को पुलिस चौकी 29 मील में आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई से मिलने जाने के दौरान पुलिस कानि0 श्री हवा सिंह से वार्तालाप हुई जिसमें कानि0 श्री हवा सिंह ने बताया कि श्री नेतराम जी ए.एस.आई अभी सो रहे है तथा आप 05.00 बजे बाद में आना के सम्बन्ध में कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई । उक्त रिकॉर्ड वार्ता का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड को कार्यालय लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को गवाहान के समक्ष बार-बारी से चलाकर सुना गया तथा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार श्री प्रेमराज कानि0 से तैयार करवाई जाकर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल मेमोरी कार्ड से दो पेनड्राईव जिसमें से एक पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का आरोपी हेतु उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट किया जाकर मार्क PD-1 दिया गया। एक पेनड्राईव 32 जी.बी. का अनुसंधान अधिकारी हेतू पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर पिले लिफाफे मे रखा जाकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड 32 जी.बी. को उसी मैमोरी कार्ड के कवर मे रख कर एक सफेद की कपडे की थेली मे रखकर सीलचिट कर मार्क M-2 दिया गया तथा सील पैकेट पर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त सम्बन्धित वार्ताओं की हैशवैल्यू निकालकर शामील पत्रावली की गई । आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर 02 योम पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त किया गया । समय 06.25 पी.एम. पर परिवादी श्री उम्मेद खॉ की दिनांक 01.09.2024 को पुलिस चौकी 29 मील में आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई से मिलने के दौरान आरोपी श्री नेतराम ए.एस.आई द्वारा 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि लौटाई जाने के उपरान्त परिवादी द्वारा अपने मोबाईल फोन से अपने पुत्र श्री आमीर खान से वार्ता कर उसे पुलिस चौकी 29 मील पर बुलाया । उक्त मोबाईल पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई । तत्पश्चात् श्री आमीर खान को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर समय 05.54 पी.एम. पर दिया जाकर पुलिस चौकी 29 मील की ओर रवाना किया गया जहां पर परिवादी श्री उम्मेद खां एव उसके लडके श्री आमीर खान की आपस में वार्तालाप हुई थी जो आमीर खान के पास चालू डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई । उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड को कार्यालय लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को गवाहान के समक्ष बार-बारी से चलाकर सुना गया तथा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-ब-शब्द श्री प्रेमराज कानि0 से तैयार करवाई जाकर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल मेमोरी कार्ड से दो पेनड्राईव जिसमें से एक पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का आरोपी हेतु उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट किया जाकर मार्क M-2 दिया गया। दुसरा पेनड्राईव 64 जी.बी. को उसी कवर में रखकर पिले लिफाफे मे रखा जाकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया । वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड 32 जी.बी. को उसी मैमोरी कार्ड के कवर मे रख कर एक सफेद की कपडे की थेली मे रखकर सीलचिट कर मार्क M-3 दिया गया तथा सील पैकेट पर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा ब्रास सील नम्बर 30 अंकित की गई । उक्त सम्बन्धित वार्ताओं की हैशवैल्यू निकालकर शामील पत्रावली की गई । इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो ओर साक्ष्यो से पाया गया कि परिवादी श्री उम्मेद खॉ के पुत्र श्री आमिर खान दिनांक 09.08.2024 व 10.08.2024 की रात्री दरमियानी अपने मित्र के जीजाजी की स्कॉर्पियो गाडी लेकर विजयनगर स्थित श्रीनाथ हॉटल पर गये तथा अजमेर से अपने साला श्री लकी से घरेलू कार्य हेतू 3.60 लाख रूपये मंगवाये थे जिसको लेने के लिये श्री आमिर खान अपने साथी के साथ गया था, वापसी करीबन 01.30 एएम पर पुलिस थाना गुलाबपुरा के एएसआई श्री नेतराम, कानि श्री रफीक मोहम्मद व एक अन्य कानिस्टेबल द्वारा आमिर खान की गाडी को रूकवाया तथा उसको बदमाश गोपाल गुर्जर के साथ उठने बैठने, बदमाशो से संबंध रखने तथा अनर्गल आरोप लगाकर बंद करने की धमकी देकर उसके पास मिली 3.60 लाख रूपये राशि का विडियो बनाया तथा श्री नेतराम एएसआई, कानिस्टेबल श्री रफीक खान ने श्री आमिर खान को किसी प्रकरण मे बंद नही करने की ऐवज मे 7.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। तथा मौके पर ही 3.60 लाख रूपये की राशि आरोपी श्री नेतराम एएसआई एवं श्री रफीक खान कानिस्टेबल द्वारा प्राप्त कर ली तथा दिनांक 10.08.2024 को श्री रफीक खान ने आमिर खान से 1.40 लाख रूपये और प्राप्त कर लिये । इस प्रकार दिनांक 10.08.2024 को श्री रफीक खान द्वारा कुल 5.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि आरोपी एएसआई श्री नेतराम के नाम से ग्रहण की तथा शेष 2.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि के लिये आरोपी कानिस्टेबल श्री रफीक खान द्वारा बार बार वाट्सऐप वॉयस कॉल कर आमिर खान से मांग की

जा रही थी, जिस पर आरोपी कानिस्टेबल श्री रफीक खान के वाट्सऐप वॉयस कॉल की श्री आमिर खान ने अपने साथी श्री अहमद नूर खान उर्फ टीनू के मोबाईल से ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की गई। तत्पश्चात श्री आमिर खान ने परेशान होकर अपने पिता श्री उम्मेद खॉं को सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया जिस पर दिनांक 17.08.2024 को परिवादी श्री उम्मेद खॉं आरोपी श्री नेतराम से उसके कार्यालय पुलिस चौकी 29 मिल गुलाबपुरा जाकर मिला तथा उसके पुत्र को बिना वजह ही रोक कर 5.00 लाख रूपये रिश्वत राशि वसूलने तथा कानिस्टेबल रफीक खान द्वारा 2.00 लाख रूपये और मांगे जाने के संबंध मे बताया गया और ली गई रिश्वत राशि 5.00 लाख रूपये लौटाने के लिये कहा तो मना कर दिया। परिवादी के पुत्र श्री आमिर खान द्वारा आरोपी श्री रफीक खान द्वारा फोन पर मांगी जा रही रिश्वत राशि की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की जानकारी आरोपीगणो को ज्ञात होने पर अपने परिचित श्री मोहम्मद गनी खान को परिवादी के घर भिजवा कर ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग डिलिट करने तथा मामला 3.00 लाख रूपये मे सेटल करने हेतू दबाव बनाया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 21.08.2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे शिकायत दर्ज करवाई। तत्पश्चात दिनांक 24.08.2024 को परिवादी को भेज कर आरोपी श्री नेतराम से रिश्वत लेनदेन सत्यापन वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहा कि रफीक को कोई पैसे नही देने है, रफीक भी अपना ही है, अब रफीक का आपके पास फोन नही आयेगा, रफीक को कुछ नही कहना है मै लेते रहूगा रफीक से आप चाहो तो पूरा पैसा वापस दे देवा एव परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लौटाने का तकाजा करने पर 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लौटाने पर सहमत हुआ। लेनदेन सत्यापन वार्ता दिनांक 24.08.2024 के अनुसरण मे आज दिनांक 01.09.2024 को आरोपी श्री नेतराम द्वारा पुलिस चौकी 29 मील थाना गुलाबपुरा पर 1.00 लाख रूपये परिवादी श्री उम्मेद खॉं को लौटाने पर उक्त रिश्वती राशि को जप्त किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री नेतराम एएसआई पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपये◌ाग कर स्वयं के लिये अपने अधिनस्थ कार्मिक श्री रफीक खान के माध्यम से कुल 7.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर 5.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण कर अनुचित लाभ प्राप्त करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री नेतराम एएसआई, श्री रफीक खान कानिस्टेबल का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (पारसमल) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा प्रथम प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1.श्री नेतराम चौधरी पुत्र श्री फूलचन्द जाट उम्र 45 साल निवासी फुदौली रोड, नीम का थाना, पुलिस थाना कोतवाली नीम का थाना जिला नीम का थाना हाल ए.एस.आई पुलिस थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा 2.श्री रफिक मोहम्मद पुत्र श्री मुश्ताक मोहम्मद उम्र 38 साल निवासी पंचायत भवन वाली गली रसूलपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर हाल कानि0 चालक नम्बर 1387 पुलिस थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाडा (हाल फरार) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ललित किशोर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस0आई0डब्लू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 36 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1005-08 दिनांक 03.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा। 2 जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेंर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LALIT KISHORE SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]/2024 2[illegible]0

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				
2	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)